मत्स्य निदेशालय

मत्स्य भवन, झारखण्ड, डोरण्डा, राँची– 834002

"अतिअल्पकालीन इच्छा की अभिव्यक्ति की सूचना"

झारखण्ड राज्य में केज कल्चर के लिए निम्न प्रकार के जाल की आपूर्ति करने हेतु दर का निर्धारण कर फर्म/संस्था का सूचीकरण किया जाना है ।

Net –	Grow out Net
Size-	6 मीटर x 4 मीटर x 4 मीटर
Twin Size-	12 Ply अथवा उससे अधिक
Eye size/Mesh size-	12–24 mm eye size
Material of Net-	Nylon 210D Knotless
Guarantee:	Nets should have at least two years guarantee against natural wear and tear in water and sunlight.

केज कल्चर के लिए उपरोक्त जाल की आपूर्ति हेतु संबंधित आपूर्तिकर्ता, फर्म/संस्था **निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, डोरण्डा, राँची–834002** के नाम से आवेदन दे सकते हैं। सफल आपूर्तिकर्ता, फर्म/संस्था को मत्स्य निदेशालय में सूचीबद्ध किया जाएगा ।

इच्छा की अभिव्यक्ति प्रपत्र दिनांक 19.02.2021 से 23.02.2021 तक कार्यालय अवधि में मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, रॉची से मो0 5000.00 (पॉच हजार) रु0 के भारतीय स्टेट बैंक, डोरण्डा में निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची (Director of Fisheries, Jharkhand) के पदनाम से भुगतेय बैंक ड्राफ्ट जमा कर प्राप्त किये जा सकेंगे।

तकनीकी एवं वित्तीय बीड अलग–अलग लिफाफों में सील बन्द कर, जमा किया जाएगा । उक्त दोनों लिफाफे पुनः एक अलग लिफाफे में होने चाहिए।

जाल की आपूर्ति हेतु दर निर्धारण एवं सूचीबद्ध किये जाने हेतु मत्स्य निदेशालय में दिनांक 24.02.2021 के 2.00 बजे अपराह्न तक मुहरबंद आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे निदेशालय स्तरीय गठित समिति की बैठक में मत्स्य निदेशालय में खोले जाएँगे । इच्छा की अभिव्यक्ति की शर्ते मत्स्य निदेशालय के सूचनापट्ट अथवा वेबसाईट www.jharkhandfisheries.org पर देखी जा सकती है।

योजना की स्वीकृति के अनुरुप कार्य आवंटन जिला स्तर पर किया जाएगा। बिना कारण बताये इच्छा की अभिव्यक्ति को पूर्ण रुप से अथवा आंशिक रुप से रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा ।

15/2/21

निदेशक मत्स्य,
झारखण्ड, राँची

मत्स्य बीज का उत्पादन, स्वरोजगार का अच्छा साधन

दो गज की दूरी, मास्क है जरुरी

केज के लिए जाल आपूर्तिकर्ता हेतु शर्तें

झारखण्ड राज्य में केज कल्चर के लिए निम्न प्रकार के जाल की आपूर्ति करने हेतु दर का निर्धारण कर फर्म/संस्था का सूचीकरण किया जाना है ।

Net –	Grow out Net
Size-	6 मीटर x 4 मीटर x 4 मीटर
Twin Size-	12 Ply अथवा उससे अधिक
Eye size/Mesh size-	12–24 mm eye size
Material of Net-	Nylon 210D Knotless
Guarantee:	Nets should have at least two years guarantee against natural wear and tear in water and sunlight.

केज कल्चर के लिए उपरोक्त जाल की आपूर्ति हेतु संबंधित आपूर्तिकर्ता, फर्म/संस्था **निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, डोरण्डा, राँची–834002** के नाम से आवेदन दे सकते हैं। सफल आपूर्तिकर्ता, फर्म/संस्था को मत्स्य निदेशालय में सूचीबद्ध किया जाएगा ।

इच्छा की अभिव्यक्ति प्रपत्र दिनांक 19.02.2021 से 23.02.2021 तक कार्यालय अवधि में मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, रॉची से मो0 5000.00 (पॉच हजार) रु0 के भारतीय स्टेट बैंक, डोरण्डा में निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची (Director of Fisheries, Jharkhand) के पदनाम से भुगतेय बैंक ड्राफ्ट जमा कर प्राप्त किये जा सकेंगे।

तकनीकी एवं वित्तीय बीड अलग–अलग लिफाफों में सील बन्द कर, जमा किया जाएगा । उक्त दोनों लिफाफे पुनः एक अलग लिफाफे में होने चाहिए।

जाल की आपूर्ति हेतु दर निर्धारण एवं सूचीबद्ध किये जाने हेतु मत्स्य निदेशालय में दिनांक 24.02.2021 के 2.00 बजे अपराह्न तक मुहरबंद आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे निदेशालय स्तरीय गठित समिति की बैठक में मत्स्य निदेशालय में खोले जाएँगे । इच्छा की अभिव्यक्ति की शर्तें मत्स्य निदेशालय के सूचनापट्ट अथवा वेबसाईट www.jharkhandfisheries.org पर देखी जा सकती है।

योजना की स्वीकृति के अनुरुप कार्य आवंटन जिला स्तर पर किया जाएगा ।

क). जाल आपूर्तिकर्ता के लिए तकनीकी बिडः–

1. आवेदनकर्ता को अद्यतन जी0एस0टी0 रिटर्न संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
2. आवेदनकर्ता को वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 का आयकर रिटर्न संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. आवेदनकर्ता को जलाशय, नदी या तालाब के केज में जाल लगाने अथवा केज का जाल बनाने का सरकारी कार्यालय द्वारा निर्गत कम से कम तीन वर्षो का अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
4. आवेदनकर्ता को उद्योग/लघु उद्योग विभाग का MSME/NSIC प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
5. आवेदनकर्ता को जाल के प्रत्येक प्लाई (यथा 12, 24, 36, 45 Ply) का नमूना संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक नमूना के साथ फर्म का नाम टैग होना चाहिए।

6. आवेदनकर्ता को निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची (Director of Fisheries, Jharkhand) के पदनाम से मो0 1,00,000.00 (एक लाख) रु0 का डोरण्डा शाखा में भुगतेय भारतीय स्टेट बैंक का ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
7. संस्था/फर्म को काली सूची में न डाले जाने संबंधी "स्वघोषणा पत्र" संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण जाल आपूर्ति करने एवं दो वर्ष की प्राकृतिक wear and tear की गारन्टी का स्वघोषणा पत्र संलग्न करना होगा।
9. तकनीकी बीड हेतु निर्धारित तकनीकी बीड की प्रोफोर्मा में ही तकनीकी बीड जमा करना होगा ।

ख). जाल आपूर्ति हेतु वित्तीय बीडः–

1. आवेदनकर्ता को निदेशालय द्वारा निर्धारित वित्तीय बीड की प्रोफोर्मा में ही वित्तीय बीड अलग सीलबंद लिफाफे में जमा करना होगा ।
2. वित्तीय बीड की प्रोफोर्मा में ही 12, 24 36 एवं 45 PLY हेतु अलग–अलग दर अंकित करना होगा।
3. निदेशालय स्तरीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय एवं दर सर्वमान्य होगा एवं एल0 वन की दर अगले एक वर्ष/अगले आदेश तक के लिए प्रभावी होगा।

ग). जाल आपूर्ति हेतु अन्य शर्तें :–

1. तकनीकी एवं वित्तीय बीड अलग–अलग लिफाफों में सील बन्द कर, जमा किया जाएगा। उक्त दोनों लिफाफे पुनः एक अलग लिफाफे में होने चाहिए। उसके उपर संबंधित विषय एवं फर्म का नाम, पता एवं मोबाईल नं0 साफ–साफ अंकित होना चाहिए। प्रत्येक सील्ड लिफाफा पर अलग–अलग "वित्तीय बीड"/"तकनीकी बीड" अवश्य अंकित होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर लिफाफे नहीं खोले जाएंगे। तकनीकी बीड में सफल आवेदनकर्ता के ही वित्तीय बीड खोलें जाएंगे।
2. इच्छा की अभिव्यक्ति आवेदनों को खोलने के समय निविदादाता स्वयं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते है। आवश्यकतानुसार बैठक में भाग लेने समय प्राधिकृत प्रतिनिधि से प्राधिकृत होने का प्रमाण–पत्र मांगा जायेगा।
3. आपूर्तिकर्ता को स्वयं के खर्च पर परिवहन सहित संबंधित जिले में जाल की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन करना होगा ।
4. निदेशालय स्तर पर जमा किया गया अग्रधन सभी को वापस कर दिया जाएगा तथा जिस जिले में इनके द्वारा कार्य प्राप्त किया जाएगा/कार्यादेश प्राप्त होगा वहॉ एकरारनामा करते हुए 50000.00 (पचास हजार) रु0 का बैंक ड्राफ्ट संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी के नाम से उनके कार्यालय में जमा करना होगा । अग्रधन की राशि दो वर्ष की गारन्टी पूर्ण होने पर बिना ब्याज के संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा वापस कर दी जाएगी ।

5. निदेशालय स्तरीय समिति को दर अधिक महसूस होने की अवस्था में वार्ता कर (Negotiation) दर निर्धारित करने एवं L1 की दर पर अन्य आवेदनकर्ता के सहमत होने पर जाल आपूर्ति का आदेश दिये जाने का अधिकार होगा।
6. जाल की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यादेश रद्द करते हुए अग्रधन की राशि जप्त करने का अधिकार संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी को होगा। यदि चयनित आवेदनकर्ता द्वारा जाल आपूर्ति में शिथिलता बरती जाती है तो निर्धारित L1 दर पर अन्य सफल चयनित आवेदनकर्ता से जाल लेने का अधिकार संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी को होगा।
7. बिना कारण बताये इच्छा की अभिव्यक्ति को पूर्ण रुप से अथवा आंशिक रुप से रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा ।
8. निदेशालय स्तरीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा तथा अगले इच्छा की अभिव्यक्ति/अगले आदेश तक के लिए मान्य होगा ।
9. इच्छा की अभिव्यक्ति सूचना एन. आई. टी. का अंग होगा।
10. आवेदन खोलने की तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
11. इच्छा की अभिव्यक्ति के नियम एवं शर्तों को शिथिल करने का अधिकार निदेशालय स्तरीय समिति को होगा।
12. यह विज्ञापन दर निर्धारण एवं सूचीकरण मात्र के लिए है, इस इच्छा की अभिव्यक्ति के विरुद्ध मत्स्य निदेशालय से कार्य दिये जाने की बाध्यता नहीं होगी ।

15/2/21

निदेशक मत्स्य,
झारखण्ड, राँची